फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रामरतन वगै0 बनाम सरकार वगै0

मुकदमा नं0 47/2014

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र, अप्रार्थी सं0 4 का जवाब व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वज ग्राम नायला के वासी है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी के पूर्वज स्व0 कान्हा पुत्र परसा के समय से खातेदारी व कब्जे की भूमि व गैर मु0 आबादी भूमि, रिहायश की जानवरों के घर तथा चाराघर आदि बने हुए है। जो आज भी मौके पर स्थित है। जिनको प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से उपयोग में ले रहा है। प्रार्थी ने कथन किया कि दौराने सेटलमेंट साबिका खसरा नम्बर 1024 का खसरा नम्बर बदलकर खसरा नम्बर 2366 करी दिया तथा साथ ही में किस्म भी बदल दी गयी। जिसका हाल खसरा नम्बर 149 है। जिसे पुनः प्रार्थी की खातेदारी में अंकित किया जाना चाहिए तथा वादग्रस्त भूमि पर अन्तिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना चाहिए तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये जावें। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस प्रार्थी का मनन करने पर पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि प्ररकण में मूलभूत कानूनी बिन्दू निहित है। अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया वाद व सुविधा का सन्तुलन भी इससे प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 1024, 1025, 1004, 1005, 1006, 1007, 1015, 1016, 1017 व 1197 तथा 1024 से बना हाल खसरा नम्बर 149 से प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हिस्से तक बेदखल नही करें, मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूलवाद के के साथ हमफिता हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर	